फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 249/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/256) **श्री जगन्नाथ के बजाय मु.प्यारी सरगरा बनाम तहसीलदार चित्तौड़गढ़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.12.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री दीपक शर्मा - वकील अपीलार्थी 2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-1 **अनवान** श्री जगन्नाथ पिता श्री तारा सरगरा निवासी ओछड़ी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ मृतक के बजाय 1. मु. प्यारी पत्नि जगन्नाथ सरगरा, निवासी ओछड़ी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। **अपीलार्थी** 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। 2. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़। **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़, बप्रकरण संख्या 07/2020 निर्णय दिनांक 08.11.2023 (अनवान श्री जगन्नाथ के बजाय प्यारी बनाम तहसीलदार चित्तौड़गढ़)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 21.12.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़, बप्रकरण संख्या 07/2020 निर्णय दिनांक 08.11.2023 (अनवान श्री जगन्नाथ के बजाय प्यारी बनाम तहसीलदार चित्तौड़गढ़) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 127 ग्राम पंचायत ओछड़ी, दिनांक 29.05.1991 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ओछड़ी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित आराजी संख्या 9 रकबा 0.86 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है, जो अपीलार्थी के पति के नाम गैर खातेदारी से दर्ज थी, जिसको अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 127 दिनांक 25.09.1991 से तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को बिना सुने, किसी अन्य आदेश के हवाला देते हुए अपीलार्थी की उक्त भूमि को बिलानाम काबित काश्त करने का अंकन करने का आदेश दिया, जो निरस्त फरमाया जावें। • अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को उक्त अपील को मयाद बाधित मानते हुए मयाद के बिन्दु पर खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 08.11.2023 प्रसारित किया। धीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के उक्त निर्णय दिनांक 08.11.2023 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलार्थी एवं राजकीय पेरोकार उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 20.12.2023 को सुनी गई। प्रत्यर्थी-2 बावजुद सूचना अनुपस्थित।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 249/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/256) **श्री जगन्नाथ के बजाय मु.प्यारी सरगरा बनाम तहसीलदार चित्तौड़गढ़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण को गुणावगुण पर विवेचन न कर सिर्फ मयाद के बिन्दु पर खारिज किया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष यह स्थिति स्पष्ट थी कि अपीलार्थीयां जो निर्विवादित रूप से श्री जगन्नाथ की पत्नि है, को उक्त नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया, न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, जिससे अपीलार्थीया को आलौच्य नामान्तरकरण की जानकारी होना संभव नहीं है। जो नामान्तरकरण अपीलार्थीया के परोक्ष पारित किया गया, ऐसे अविधिक नामान्तरकरण पर मयाद के बिन्दु लागु नहीं होता है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित इसी मत को लेकर कई न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये गये, जिस पर कोई गौर नहीं किया गया, जबकि अविधिक आदेश पर मयाद के बिन्दु को गौण किया जाकर गुणावगुण पर प्रकरण निस्तारित किया जाना अपेक्षित है। आलौच्य नामान्तरकरण पर किये गये अंकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीयां के पति के नाम दर्ज गैर खातेदारी भूमि को किसी अन्य प्रकरण हरिया चमार के प्रकरण में पारित निर्णय के आधार पर बिलानाम काबित काश्त दर्ज कर दिया गया, जबकि जगन्नाथ के नाम से कोई प्रकरण निस्तारित नहीं हुआ। इस प्रकार की गंभीर त्रुटि से ग्रसित आदेश पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है, फिर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण पर गुणावगुण पर निर्णय न कर मयाद के बिन्दु पर निर्णय पारित की जो अविधिक होकर काबिल निरस्त है। अपीलार्थीयां के पति श्री जगन्नाथ को उक्त भूमि आवंटित किया जाना निर्विवादित है और अपीलार्थीया का उसकी पत्नि होना तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर भी निर्विवादित तथ्य है, जिससे उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर आवंटित भूमि का नामान्तरकरण विरासत से पुनः अपीलार्थीया के नाम दर्ज किया जाना अपेक्षित है क्योंकि अपीलार्थीया के पति को उक्त भूमि राजस्थान कालोनाईजेशन नियम-1968 तहत गंभीरी बांध की नहरी भूमि आवंटित होकर उनके गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड चली आ रही थी और बिना किसी जांच पड़ताल के श्री जगन्नाथ को लावारिस फोत बता किसी अन्य आदेश की चस्पागनी करते हुए आलौच्य नामान्तरकरण अविधिक तौर पर पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रावधानों अनुसार उक्त आवंटित भूमि को 3 वर्ष के भीतर गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज किये जाना आवश्यक है, परन्तु संबंधित तहसीलदार इस बिन्दु पर गौर न कर अविधिक नामान्तरकरण पारित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं आलौच्य नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किये-

1. आरआरटी 2002(1) पेज न. 648 से 655
2. आरआरटी 2022(2) पेज न. 1137 से 1141
3. आरआरटी 2016(1) पेज न. 559 से 563

प्रत्यर्थी-1 की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार ने अपनी बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा जो अपील पेश की वह मयाद बाधित थी जो इसी बिन्दु पर खारिज योग्य थी, जिस पर तार्किक निर्णय पारित किया गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 249/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/256) **श्री जगन्नाथ के बजाय मु.प्यारी सरगरा बनाम तहसीलदार चित्तौड़गढ़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान अध्ययन एवं परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वर्तमान अपील के अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 127 ग्राम पंचायत ओछड़ी, दिनांक 29.05.1991 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को उक्त अपील को मयाद बाधित मानते हुए मयाद के बिन्दु पर खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 08.11.2023 प्रसारित किया। उक्त निर्णय से व्यथीत होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

हमने उपस्थित पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं के तर्को, लिखित बहस को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकोर्ड पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य का बारीकी से अध्ययन एवं मुल्यांकन किया है। सर्वप्रथम इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष यही प्रमुख अवधारणीय बिन्दु है कि क्या जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपील को मयाद बाधित शुमार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि की है अथवा नहीं।

दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील पर गुणावगुण पर सुनवाई नहीं कर उसे मयाद के आधार पर खारिज करने में कानूनी भूल की है। इस सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि आदेश 41 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रावधानों अनुसार जहां अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की जावें एवं अपील के साथ धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो, वहा सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक हैं एवं उसके पश्चात् आवश्यक होने पर प्रकरण को गुणावगुण पर सुना जाना चाहिये। विधिक स्थिति एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में यह स्पष्ट है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निर्णित करने एवं विलम्ब की परिसीमा का शमन स्वीकृत करने के पश्चात ही न्यायिक प्रकरण प्रभाव में आता है एवं तत्पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय प्रदान किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा 31 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी ऐसे में प्रावधान अनुसार मयाद के बिन्दु को पहले निर्णित किया जाना अपेक्षित था। इस संबंध में हम अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय समक्ष एवं अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों/व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना उचित समझते है:

RRI 2002(1) Page No. 648: Limitation Act, 1963 – Sec.5 – Condonation of delay – While considering the question of condonation of delay Court has to first consider the merits of the case – If case is good on merits, delay ought to have been condoned.

RRD 1996 Page 16 : Limitation Act, Section 3 – Mutation, initiated in reference of auction dt. 17.2.68 which was not final – Hence, the mutation is ab initio void – Impunged order of Tehsildar attesting the mutation was out of jurisdiction – There is no question of limitation for filing appeal against ab initio void mutation – Direction issued to Tehsildar.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 249/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/256) **श्री जगन्नाथ के बजाय मु.प्यारी सरगरा बनाम तहसीलदार चित्तौड़गढ़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

RRD 1996 Page 457 : Limitation Act, Section 3 & 5 – Limitation does not apply to orders passed without jurisdiction and the same can be set aside at any time by any court.

RRD 1989 Page 45 : Rajasthan Land Revenue Act, Section 75 – Order which is void ab initio can be challenged at any time – Appeal filed after more than 18 years but immediately after knowledge, is not barred.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि आलौच्य नामान्तरकरण पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थीयां को सूना गया है या नहीं। इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि तो नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से कही भी प्रकट नहीं होता है कि आलौच्य नामान्तरकरण पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थीयां को कोई सूचना जारी की हो या उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। न्याय का एक प्रमुख सिद्वान्त है कि किसी भी व्यक्ति के प्रतिकुल आदेश पारित किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकरण में आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व नहीं दिया जाना पाया ता है। अतः आलौच्य नामान्तरकरण के ज्ञान होने का सामान्य प्रश्न ही नहीं है, इस देरी के लिऐ उसे जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार इस बिन्दु पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मयाद के आधार पर जो अपील खारिज की है, वो वैधानिक त्रुटिपूर्ण है।

जहां तक नामान्तरकरण संख्या 127 की वैधता का प्रश्न है, पत्रावली के अवलोकन से यह निर्विवादित स्थिति है कि अपीलार्थी श्री जगन्नाथ पिता श्री तारा सरगढ़ा की एक मात्र पत्नि होकर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत एक मात्र वारिस है, जिसका जगन्नाथ की सम्पत्ति एवं भूमि में पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अपीलार्थी द्वारा यह कथन किये गये कि उक्त भूमि अपीलार्थीयां के पति को राजस्थान कोलोनाईजेशन नियम-1968 के तहत आवंटित होकर राजस्व अभिलेखों में गैर खातेदारी से दर्ज थी, अपने कथनों के समर्थन में अपीलार्थीयां द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष संवत 2041-2044 तक की जमाबंदी एवं भूप्रबन्ध विभाग द्वारा उनके अभिलेख से जारी जमाबंदी भी प्रस्तुत की गई, जो अपीलार्थी के कथनों की ताईद करते है। आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 127 के अवलोकन से प्रकट होता है कि श्री जगन्नाथ के नाम गैर खातेदारी से दर्ज विवादित भूमि श्री हरिया चमार के प्रकरण संख्या 51/1990 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.1991 की पालना में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज करने का अंकन किया गया। श्री हरिया चमार का श्री जगन्नाथ की भूमि से क्या संबंध है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जांच नहीं कराई गई हालाकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ से उनके समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर जवाब मांगा गया। तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा श्री जगन्नाथ के वारिसान की जांच की और अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.02.2021 में अपीलार्थीया श्रीमती प्यारी बाई को श्री जगन्नाथ सरगरा की पत्नि होना जाहिर किया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस दिनांक 10.12.1990 के अवलोकन से जाहिर होता है कि तत्समय तहसीलदार द्वारा श्री जगन्नाथ पिता तारा सरगरा को लावारिस फौत होना माना है, जबकि अपीलार्थीया श्री जगन्नाथ की एक जीवित वारिस थी। यह प्रकट करता है कि आलौच्य नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व वारिसान के संबंध में कोई जांच नहीं की गई, जो उचित नहीं है और ऐसा नामान्तरकरण संख्या 127 आरम्भ से ही अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण था, और ऐसे अविधिक नामान्तरकरण पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 249/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/256) **श्री जगन्नाथ के बजाय मु.प्यारी सरगरा बनाम तहसीलदार चित्तौड़गढ़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी अंकित किया जाना उचित होगा कि प्रावधानोनुसार उक्त आवंटित भूमि, जो कि श्री जगन्नाथ के नाम राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदारी से अंकित थी, उसे तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा 3 वर्ष के अवधि के भीतर खातेदारी के रूप में दर्ज किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया बल्कि इसके विपरित जाकर एक त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। इस प्रकार इस बिन्दु पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मयाद के आधार पर जो अपील खारिज की है, वो वैधानिक त्रुटिपूर्ण है।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से यह साबित होता है कि अपीलार्थी के पति को विवादित भूमि को जो आवंटन हुआ है, उक्त आवंटन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, जिसे प्रावधानोनुसार निर्धारित 3 वर्ष की अवधि में खातेदारी दर्ज किया जाना था, परन्तु इसके विपरित जाकर बिना वारिसान की जांच किये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा विवादित भूमि को बिलानाम काबिल काश्त दर्ज करने का नामान्तरकरण संख्या 127 पारित किया, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। इस प्रकार इस बिन्दु पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मयाद के आधार पर जो अपील खारिज की है, वो अवैधानिक व त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और विवादित भूमि पुनः अपीलार्थीयां के नाम आवंटन नियमों के तहत श्री जगन्नाथ की एक मात्र वारिस होने से खातेदारी के रूप दर्ज किया जाना अपेक्षित है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण से सुसंगत होकर चस्पा होते है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है।** जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.11.2023 एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 127 दिनांक 29.05.1991 निरस्त/अपास्त किया जाता है। विवादित भूमि पुनः श्री जगन्नाथ पिता तारा सरगरा की पत्नि अपीलार्थीयां के नाम खातेदारी से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(महावीर खराड़ी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर